रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 4 जुलाई 1989/13 आषाढ़, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-171002, 6 मई, 1989

संख्या गृह (ए)-7 (जी)-19/75-III.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मैनोवर फील्ड फायरिंग एवं आर्टिलरी प्रैक्टिस अधिनियम, 1938 (1938 का पांचवां अधिनियम) धारा 9 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (4) में अपेक्षित है इस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के अधीन उस क्षेत्र में जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार गृह विभाग की अधिसूचना संख्या गृह (ए) 7(जी)-19/75, दिनांक 18-6-1987 जो कि असाधारण राजपत्र हिमाचल प्रदेश के 1-8-1987 के अंक में प्रकाशित

हुई थी, में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, मैं निम्नलिखित अवधि के दौरान पूर्व परिभाषित क्षेत्रों में फील्ड फायरिंग तथा आर्टिलरी प्रैक्टिस करने हेतु प्राधिकृत करने के निश्चय को सरकारी राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना उन लोगों की सूचना हेतु जो कि उसके द्वारा प्रभावित होने सम्भावित हैं, सहर्ष प्रकाशित करते हैं :—

अगस्त, 1989	सितम्बर, 1989	दिसम्बर, 1989
1 से 3 तक	1 से 2 तक	11 से 13 तक
7 से 9 तक	4 से 6 तक	15 से 16 तक
18 से 19 तक	8 से 9 तक	19 से 21 तक
21 से 23 तक	11 से 13 तक	23 दिसम्बर
25 से 26 तक	15 से 16 तक	26 से 28 तक
28 से 30 तक	19 से 21 तक	30 दिसम्बर
	23 सितम्बर	
	26 से 28 तक	

जनवरी, 1990	फरवरी, 1990	मई, 1990
3 से 5 तक	1 से 3 तक	16 से 19 तक
8 से 10 तक	7 से 8 तक	21 से 23 तक
12 से 13 तक	12 से 14 तक	25 से 26 तक
15 से 18 तक	16 से 17 तक	28 से 30 तक
22 से 25 तक	19 से 21 तक	
29 से 31 तक	23 से 24 तक	
	26 से 28 तक	

शिमला-2, 6 मई, 1989

संख्या गृह (ए)-एफ(13)-1/88.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मैनोवर फील्ड फायरिंग एवं आर्टिलरी प्रैक्टिस अधिनियम, 1938 (1938 का पांचवां अधिनियम) की धारा 9 की उप-धारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (4) में अपेक्षित है इस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के अधीन उन क्षेत्रों में जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या गृह (ए)-एफ(13)1/82, दिनांक 23-4-1988 जो कि राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में 11-6-1988 के अंक में प्रकाशित हुई थी, निर्दिष्ट किये गए हैं में निम्नलिखित अवधि के दौरान पूर्व परिभाषित क्षेत्रों में फील्ड फायरिंग तथा आर्टिलरी अभ्यास करने हेतु प्राधिकृत करने के निश्चय को सरकारी राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना उन लोगों की सूचना हेतु जो कि इसके द्वारा प्रभावित होना सम्भावित है, सहर्ष प्रकाशित करते हैं :—

अगस्त, 1989	सितम्बर, 1989	अक्तूबर, 1989	नवम्बर, 1989
5 से 11 तक	7 से 13 तक	4 से 10 तक	6 से 12 तक
23 से 29 तक	20 से 26 तक	21 से 27 तक	21 से 28 तक

दिसम्बर, 1989	जनवरी, 1990	फरवरी, 1990	मार्च, 1990
8 से 14 तक	6 से 12 जनवरी	8 से 14 तक	5 से 11 तक
		21 से 28 तक	23 से 29 तक

अप्रैल, 1990	मई, 1990	जून, 1990
5 से 11 तक	5 से 11 तक	2 से 8 तक
24 से 30 तक	21 से 27 तक	19 से 26 तक

आदेश द्वारा,
कंवर शमशेर सिंह,
आयुक्त एवं सचिव।

कार्यालय उपायुक्त, जिला सिरमौर नाहन

अधिसूचना

नाहन, 26 मई, 1989

संख्या पी0सी0एन0-एस0एम0आर0 (8) 12/85-835-840.—चूंकि ग्राम पंचायत सखौली डाकखाना सखौली, विकास खण्ड व तहसील पांवटा, जिला सिरमौर ने सहविकल्पित का स्थान रिक्त होने के कारण अपने प्रस्ताव संख्या-3 दिनांक 15-4-1989 द्वारा श्रीमती रुकमी देवी पत्नी श्री रूप सिंह, ग्राम सकना शलांग, डाकखाना सखौली, विकास खण्ड पांवटा को हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत वित्त नियम, 1971 के नियम 19-ए(1) के अन्तर्गत महिला पंच सहविकल्पित किया है।

और चूंकि उक्त नियम के उप-नियम (2) के अन्तर्गत सहविकल्पित की गई महिला पंच का नाम सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपायुक्त द्वारा अधिसूचित करना आवश्यक है।

अत: मैं, भीम सैन उपायुक्त, जिला सिरमौर निम्न सारणी अनुसार ग्राम पंचायत सखौली द्वारा सहविकल्पित की गई महिला पंच का नाम सर्वसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित करता हूं:—

क्रम सं0	ग्राम पंचायत का नाम	विकास खण्ड का नाम	सहविकल्पित महिला पंच का नाम तथा पूरा पता	विवरण
1	2	3	4	5
1.	सखौली	पांवटा	श्रीमती रुकमी देवी पत्नी श्री रूप सिंह ग्राम सकना शलांग, डाकघर सखौली, वि0 ख0 पांवटा, जिला सिरमौर।	

भीम सैन,
उपायुक्त,
जिला सिरमौर।

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश)

कार्यालय आदेश

मण्डी, 7 जून, 1989

संख्या 2256.— यह कि श्री परस राम, प्रधान, ग्राम पंचायत उपरली बैहली, विकास खण्ड सुन्दरनगर को इस कार्यालय के आदेश संख्या पी0सी0 एन0 मण्डी ए ( )/89, दिनांक 17-4-1989 के अधीन श्री जुगनू सुपुत्र श्री भूरू, ग्राम व डाकघर उपरली बैहली को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड अधिकारी से प्राप्त अनुदान के छल हरण हेतु कारण बताओ नोटिस दिया गया था।

और यह कि उक्त श्री परस राम से प्राप्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार किया गया जो असन्तोषजनक पाया गया तथा उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) सुन्दरनगर की छानबीन रिपोर्ट से भी उपरोक्त राशि म से 6000 — रुपये श्री जुगनू राम से लिए तथा उसमें से 2125/- रुपये खर्च किये तथा शेष राशि का गबन किया है।

और यह कि उक्त श्री परस राम को प्रधान पद पर बने रहना उचित नहीं।

अतः मैं, डा0 ए0 आर0 वसु, उपायुक्त, मण्डी मण्डल, मण्डी उन अधिकारों के अन्तर्गत जो कि मुझ में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत निहित है, श्री परस राम, प्रधान, ग्राम पंचायत उपरली बैहली, विकास खण्ड सुन्दरनगर को प्रधान पद से तत्काल निलम्बित किया जाता है और उन्हें आदेश दिया जाता है कि वह पंचायत की चल एवं अचल सम्पत्ति पंचायत उप-प्रधान को सौंप दें तथा निलम्बित अवधि में वे ग्राम पंचायत की किसी बैठक या कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे।

डा0 ए0 आर0 वसु,
उपायुक्त, जिला मण्डी।

कार्यालय उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

शिमला, 8 जून, 1989

संख्या सी0सी0एच0-एस 0एम0एल0(3) 22/85-238-245.—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 9 (1) तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 19 (ए) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत शाक ने महिला पंच का सहविकल्प किया है। क्योंकि पहले सहविकल्प महिला की मृत्यु के कारण स्थान रिक्त हो गया था। अतः मैं, जे0 पी0 नेगी, उपायुक्त, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम 19 (ए)(2) के प्रावधान के अधीन निम्न सारणी के अनुसार ग्राम पंचायत शाक द्वारा सहविकल्पित की गई महिला पंच का नाम सर्वसाधारण की सूचना हेतु अधिसूचित करता हूं:—

विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सहविकल्पित महिला पंच
चौपाल	शाक	श्रीमती पदम देवी पत्नि श्री सन्तराम राजपूत, ग्राम व डाकघर हसलाह, तहसील चौपाल, जिला शिमला।

जे0 पी0 नेगी,
उपायुक्त।
जिला शिमला।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-171002, 7 जून, 1989

संख्या पी0पी0एच0-एच0ए0(5) 22/88.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत उपायुक्त मण्डी के आदेश संख्या पंच-मण्डी 26-18/79-2643-49, दिनांक 7-6-88 को जांचोपरान्त इस शर्त पर समाप्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री परम देव प्रधान; ग्राम पंचायत सकावरी ने जो फर्नीचर मैसर्ज मलौत्रा में पंचायत के नाम खरीदा था तथा जिसका भुगतान उन्होंने समय पर नहीं किया, का पंचायत निधि में किसी किस्म का भुगतान नहीं करेंगे तथा यह फर्नीचर उनका व्यक्तिगत रहेगा।

इसके साथ-साथ श्री परमदेव, प्रधान, ग्राम पंचायत सकावरी, विकास खण्ड सराज, जिला मण्डी को भविष्य में ऐसे कृत्य न करने के लिए भी सचेत किया जाता है।

शिमला-171002, 12 जून, 1989.

संख्या पी0पी0एच-एच0ए0(5) 42/77.—क्योंकि ग्राम पंचायत मायली ने अपने प्रस्ताव संख्या 3, दिनांक 20-6-88 द्वारा यह सूचित किया है कि श्री उमेदराम, पंच, ग्राम पंचायत मायली दिनांक 19-3-87 से पंचायत की बैठकों से अनुपस्थित रह रहे हैं। जिसकी पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी मशोबरा तथा जिला पंचायत अधिकारी शिमला ने की है।

क्योंकि उक्त पंच का यह कृत्य पंचायत की कार्यकुशलता में विघ्न डाल रहा है तथा पंच का अपने कार्य के प्रति उदासीनता का प्रतीक है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 जिसे ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाता है के अन्तर्गत श्री उमेदराम पंच को कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनके पद से निलम्बित किया जाए उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक माह के भीतर-भीतर जिलाधीश शिमला के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

यह आदेश इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 14-3-89 के अधिलग्नक जारी हुए हैं।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव,
हिमाचल प्रदेश।

नियन्त्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित